प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 27.04.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक27.04.2026 को 03 अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना सैफई

इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्ता (पत्नी) को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सैफई पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 द्वारा 01 अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- थाना सैफई क्षेत्रान्तर्गत वादी गजाधर पुत्र दीनदयाल निवासी कुम्हावर थाना सैफई जनपद इटावा द्वारा थाना सैफई पर उसके भाई राधेश्याम की हत्या के संबंध में तहरीर दी जिसके आधार पर थाना सैफई पर **मु0अ0सं0-287/2020 धारा 302/34 भादवि में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **थानाध्यक्ष श्री सतीश यादव** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सैफई पुलिस टीम, पैरोकार का0 गुलाब सिह व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री शिवकुमार शुक्ल द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 27.04.2026 को अन्तर्गत धारा **302/34 भादवि में मा0 न्याया0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटावा द्वारा अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. भारती देवी पत्नी स्व0 राधे श्याम निवासी कुम्हावर थाना सैफई जनपद इटावा।